राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone &Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/ 11409-619 दिनांकः 25/06/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः—कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करने के संबंध में।

कोरोना महामारी से मुकाबले और वैक्सीनेशन अभियान हेतु ''माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर कब आ जाए, कोई नहीं जानता। ऐसे में, प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से पूर्ण करना जरूरी है। वैक्सीन ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुख्य उपाय है। हमारा प्रयास हो कि वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप प्रदेश के हर आयुवर्ग के लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो।'' इसके लिए जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण हेतु आयोजित शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाऐं निम्नानुसार सुनिश्चित की जाऐं:-

1. वैक्सीनेशन शिविरों के प्रबंधन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, स्थानीय निकायों, औद्योगिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।
2. वैक्सीनेशन के दौरान आयोजित किए जाने वाले शिविरों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
3. वैक्सीनेशन शिविरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोगों को इसके संबंध में जगह एवं दिन की सूचना समय पर मिले और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रहे।
4. शिविरों में टेन्ट, पेयजल और बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाऐं की जाएं।
5. विशेष शिविरों के माध्यम द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए।
6. वैक्सीनेशन साइट पर भीड़भाड़ और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

Scanned with CamScanner

राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अब तक अव्वल रहा है और आगे भी इसी तरह बेहतरीन प्रबंधन के साथ हमें इस काम को गति देनी होगी, ताकि भविष्य में तीसरी लहर के संक्रमण के खतरे का असर कम किया जा सके।

वैक्सीनेशन शिविर के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/11620-658 दिनांकः 25/06/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
7. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner